BUREAU OF INDIAN STANDARDS SOUTHERN REGIONAL OFFICE TENDER NOTICE HIRING OF VEHICLES ON CASUAL BASIS

Bureau of Indian Standards invites <u>sealed bids</u> under two bid system (Technical bid and Financial bid) for providing vehicles on hiring to its office located at CIT Campus, IV Cross Road, Taramani, Chennai 600 113 on regular basis, from eligible bidders as per the details given below:

Sl.No	Type of Vehicle	Requirement.
1	Indica (or its equivalent)	4 Nos
2	SUV 2 Nos	
	(Innova / Tavera or its Equivalent)	
3	Sedan	1 No.
	(Hyundai Accent/Toyota Corolla or	
	its equivalent)	

- 1. Validity of the contract: Initially, the contract will be awarded for a period of one year. However, the contract will be renewed for further period of one year subject to the satisfactory services of the firm and on the mutual consent of both the parties with same terms and conditions and rate.
- 2. Availability of Tender Documents: Cost of Tender Document is NIL. Tender document can be obtained from our office during working hours except Saturday and Sunday and holidays and also be downloaded from BIS website www.bis.org.in

3. Earnest Money Deposit : Rs.20000/-(Rupees Twenty

Thousand only)

4. Validity of Bids : 90 days from opening of Technical

Bid.

5. Issuing of Tender Document : 12.10.2015 (1000 hrs onwards)

6. Last date for submission of Tender: : 05.11.2015 (1500 hrs) 7. Opening of Tender : 05.11.2015 (1530 hrs)

The Bureau reserves the right to reject any or all of the bids without assigning any reason.

(N. VITTOBA)
Deputy Director
(Administration and Finance)

SCHEDULE - 1

TENDER DOCUMENT: Terms of Contract

- 1 Notice inviting Bids:
- 1.1 Sealed Bids, under two bid system (Technical bid and Financial bid), are invited by the Bureau of Indian Standards (BIS), from eligible Bidders for Hiring of vehicles on 'CASUAL' basis.
- 2 Issue of Tender Document: Can be obtained from office and also be downloaded from our website www.bis.org.in.
- 2.1 Any change that will be made in the Tender document by the Competent Authority after issue of the Tender will be intimated to the prospective Bidders in the form of Corrigendum/Addendum for incorporating the same in the Bid before submitting the Bid.
- 2.2 No alterations or additions anywhere in the Bid Document are permitted. If any of these are found, the Bid may be summarily rejected.
- 2.3 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid. The Bureau shall, in no case, be responsible or liable for these costs.
- **3.** Language of bid/Contract: Should be only in English including all correspondence.
- 4. Validity of Bids: 90 days from the date of opening of Bid.
- 5. Earnest Money/Bid Security:
- 5.1 The Bidder shall deposit Rs. 20000.00 (Rupees Twenty Thousand only) towards an interest free Earnest Money Deposit (EMD). The same shall be deposited only through Demand Draft or NEFT. (A/c Details: Bureau of Indian Standards, A/c No 3063667866, Central Bank of India, Adyar Branch Chennai, IFS Code: CBIN0281293)
- 5.2 Bid document without EMD will be rejected and will not be considered for BID.
- 5.3 Bidder shall not revoke his bid or vary terms and conditions of Technical Bid and the EMD amount shall stand forfeited if bidder does so.
- 5.4 The successful Bidder has to pay the performance security of Rs.1,00,000-00 (Rupees One Lakh only) within the prescribed time limit and sign the agreement bond else their EMD will be forfeited.

5.5 The Earnest Money of unsuccessful bidder(s) shall be refunded after the successful bidder furnishes the required Performance Security to the Bureau and signs the contract or within thirty (30) days of the expiry of validity period of bid, whichever is earlier.

6. Eligible Bidders

- a) should have minimum two years of experience of providing passenger vehicles to the large private sector firms, Departments/Ministries of the Government of India/PSUs/Large corporate (copies of two orders received from Govt. departments/PSUs/Large Corporate during each of the last three years should be enclosed).
- b) Should have travel and transport as its nature of business (copy of certificate to be attached)
- c) should have Service Tax Registration No. (copy of certificate to be attached.
- d) Should have valid PAN No. (copy to be attached)
- e) EMD for Rs. 20000.00 (The Demand Draft / NEFT)

7. Manner of quoting Rates:

- a. The bidder is expected to work out his rates keeping in view the scope of work and/other conditions and arrive at the amount to be quoted. The bidder shall be deemed to have satisfied himself before bidding as to the correctness and sufficiency of his Bid and of the rates and prices quoted in the attached schedules.
- b. The Financial Bid shall be exclusive of service tax, or any other applicable taxes. However, invoice shall be raised along with applicable taxes by the contractor.
- c. BID submission through E-mail or fax offers will be rejected.
- d. The bid shall contain technical bid and financial bid. The technical bid and the financial bid must be sealed in separate envelopes super scribing "Technical Bid" and "Financial Bid" and both these envelopes must be placed in a third envelope super scribing "Tender for Car / Vehicle hiring Contract". This third envelope should be sealed and delivered to the Deputy Director (Administration & Finance), Bureau of Indian Standards, Southern Regional Office, Taramani, Chennai-600 113 on or before the stipulated date and time. Bids received after the specified date and time shall not be considered.
- e. The Bureau shall open the financial bid on notified date and time and the rates quoted by the bidder shall then be read out.
- f. The financial bid envelope shall only contain Price Schedule for the vehicles to be hired at specified places as per Schedule-6.
- g. The financial bids of only those bidders who qualify in technical bids will be opened.

- h. In the event that the specified date for the submission of bid offers is declared as holiday, the bids will be received up to the appointed time on the next working day.
- i. The CEO/ MD or any authorized person shall sign the tender documents on behalf of the Agency/Firm and authorization in this regard shall be attached.

8. Execution of contract document

- a. The successful Bidder after deposit of Performance Security is required to execute an Agreement in duplicate in the form attached with the Bid Documents on a stamp paper of proper value.
- b. It shall be incumbent on the successful bidder to pay stamp duty, legal and statutory charges for the agreement, as applicable on the date of the execution.

9. Rights of the Bureau

- a. The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of work put to this Bid. BIS reserves the right to award contract to more than one agency.
- b. In case of any ambiguity in the interpretation of any of the clauses in tender document or the conditions of the contract, interpretation of the clauses by the Bureau shall be final and binding on all Parties.

10. Notice to form Part of Contract

a. Tender Notice and terms and conditions of the contract shall form part of the Contract.

SCHEDULE – 2

Conditions of Contract

1 Definitions:

- a. 'Approved' shall mean approved in writing including subsequent confirmation of previous verbal approval and "Approval" shall mean approval in writing including as aforesaid.
- b. 'Bid' means the Contractor's priced offer to the Bureau for the supply of the vehicles at the specified places and remedying of any defects therein in accordance with the provision of the Contract, the installation and services as accepted by the Letter of Acceptance.
- c. 'Bureau' shall mean Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
- d. 'Commencement Date' means the date upon which the Contractor receives the notice to commence the supply of services at specified places.
- f. 'Competent Authority' shall mean any officer authorized by the Bureau to act on behalf of the Bureau under this contract.
- g. 'Contract' shall mean and include the Tender Notice, instructions to bidders, terms and conditions of contract, Letter of Acceptance, the Offer, the technical bid, financial bid, the Agreement and mutually accepted conditions in the authorized correspondence exchanged with the bidder by the Bureau and any other document forming part of the contract.
- h. 'Contract Amount' shall mean the sum quoted by the Contractor in his bid and accepted by the Bureau.
- i. 'Contractor' shall mean the individual or firm or company whether incorporated or not, undertaking the Contract and shall include legal representatives of such individual or persons composing such firm or unincorporated company or successors of such firm or company as the case may be and permitted assigns of such individual or firm or company.
- j. 'Deputy Director General South' shall mean the Deputy Director General South of the Bureau, for the time being holding that office and also his successor and shall include any officer authorized by him.
- k. 'Government' shall mean the Central Government.
- l. 'Letter of Acceptance' means the formal acceptance by the Contractor.
- m. 'Services' shall mean the services to be provided to the Bureau by the Contractor as stated in the Contract and shall include other services that are prescribed in the Tender document.

- n. 'Specification' means the specification referred to in the tender. In case where no particular specification is given, the relevant specification of the Bureau, where one exists, shall apply.
- o. 'Tender' means formal invitation by the Bureau to the prospective bidders to offer fixed price for supply of vehicles on contract basis.
- p. 'Time for Completion' means the specified time for providing services or any part thereof as stated in the Contract calculated from the commencement date.

2. Parties to the contrat

- 2.1The parties to the contract shall be the contractor, whose offer is accepted by the Bureau; and the Bureau.
- 2.2The person signing the offer or any other document forming the part of contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.

3. Performance security

3.1To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security, a mount as indicated in (**Schedule – 1**), will be obtained from the successful bidder. Performance Security shall be deposited through Demand Draft / NEFT in favour of 'Bureau of Indian Standards' payable at Chennai..

4. Contract documents (which shall form part of the contract)

- 4.1The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the Contractor necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:
- a) The Agreement
- b) The Conditions of Contract
- c) Tender Notice and Tender Document
- d) Letter of Acceptance.
- e) Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.
- f) The Contractor's Offer
- **5.** Validity of the contract: Initially, the contract will be awarded for a period of one year. However, the contract will be renewed for further period of one year subject to the satisfactory services of the contractor on the mutual consent of both the parties with

same terms and conditions and rate.

6. Amendment to contract will be made suitably according to the developments if required.

7. Detailed scope of the work

The Contractor shall provide the required number of vehicle /car of required model on casual basis as when required by Bureau and shall take booking of vehicle / car on all 24 hours and provide vehicle / car at the required time.

a) Type of vehicles to be provided

- (i) In case of non-availability of the vehicles owned by the contractor, the contractor shall provide vehicles owned by others conforming to BIS requirements within stipulated time.
- (ii) Upgraded models or higher category cars may also be provided with the same rates, terms and conditions with prior permission of BIS.
- (iii) The vehicle shall have necessary permits from the RTO, Government of Tamilnadu and Pondicherry.
- (iv) All legal obligations which include pollution control, road tax & other compliances shall be complied by the contractor & BIS shall not be liable in this regard.
- (v) The vehicle shall have the comprehensive insurance of vehicle, driver and passengers to cover the risk during the contract period. In case of any accident, all the claims arising out of it shall be met by the contractor and BIS shall not be liable for any such claim.
- (vi) The vehicle/car should not be more than 5 five years old and should be in sound working condition and should be comfortable for use.

b) Requirement with respect to Drivers

- (i) The driver shall be well conversant about Tamil Nadu and Pondicherry routes and should have a valid driving licence.
- (ii) The driver must carry the mobile phone with him for which, no separate payment shall be made by the BIS.
- (iii) The driver(s) should come to duty in uniform.
- (iv) One day compulsory rest in a week shall be given to the driver. In the days of rest, if required by BIS, alternate driver will be provided.
- (v) The driver shall obey the instructions of Bureau of Indian Standards, Administration.

- (vi) The engagement and employment of drivers and payment of wages etc. to them as per existing provisions of various labour laws and regulations shall be the sole responsibility of the contractor.
- (vii) The contractor shall provide mobile phone to the drivers at his own cost.
- (viii) The Contractor after setting antecedents verified from police authorities shall issue identity cards/identification documents to all its personnel who will be instructed by the Contractor to display the same. The Bureau has the right to inspect the performance of the personnel deployed by the contractor and order to replace them if the performance is not satisfactory.
- (ix) Bureau has a right to change the driver, if his performance and behaviour is unsatisfactory / objectionable. The contractor should provide immediate suitable replacement within 24 hours in such an occasion.

c) Other requirements

- (i) The Contractor shall have enough resources to repair their cars in minimum possible time. When required, they shall be in a position to substitute/replace or arrange extra vehicle at very short notices. In case the vehicle is found not to be in working condition, it shall be returned for immediate replacement. In case no replacement is provided on time, BIS shall have a right to hire a vehicle from the market and the additional cost incurred in this regard will be borne by the Contractor.
- (ii) The contractor shall maintain the duty slips as recommended by BIS, for the vehicles hired. The duty slips will be signed by the user, which would indicate the opening and the closing meter reading with time and date at the point of pick up and drop of the officials of BIS. It should be ensured that there is no overwriting in the duty slips.

8. Obligations of the Contractor

- 8.1 The essence of the casual basis contract is that, the contractor shall provide the car/vehicle on casual basis irrespective of holidays.
- 8.2 BIS shall not be liable for any loss, damages and contravention and violation of Motor Vehicles Act.
- 8.3 The contractor shall abide by all statutory requirements for running the vehicle on contract and BIS will in no way be liable towards taxes, fee, penalties and salary for drivers, maintenance of vehicle or any other charges payable.

- 8.4 In case for any reason, the commercial vehicle is not provided, the liability of not providing such vehicle and running any other vehicle vests with the contractor only.
- 8.5 The contractor shall be available as and when required on his own direct telephone & mobile No. (office as well as residence) for taking booking of vehicle / car on all time and also in emergent cases.
- 8.6 Each vehicle shall have two stickers (pasted on the front and rear side of the car) 'On duty of Bureau of Indian Standards'.
- 8.7 The Bureau shall not in any manner be liable for all statutory liabilities (such as ESI & EPF including wages/salaries as applicable and shall be paid by the contractor only.
- 8.8 The contractor shall cover its personnel for personal accident and death while performing the duty and the Bureau shall own no liability and obligation in this regard.
- 8.9 The Contractor shall exercise adequate supervision to ensure performance of services in BIS.
- 8.10 The personnel of the Contractor shall not be the personnel of the Bureau and they shall not claim any salary or allowances, compensation, damages or anything arising out their deployment/duty under this contract. The Contractor shall make them known about this position in writing before deployment under this agreement.
- 8.11 The Contractor shall also provide all benefits statutory or otherwise to its personnel and the Bureau shall not have any liability whatsoever on this account. The Contractor shall also abide by and comply with the Labour Laws, Workmen Compensation Act, EPF Laws, ESIC Laws, Income tax and Minimum Wages Laws, Contractor Labour (Regulations Abolition Act) or any other law in force.
- 8.12 All necessary reports and other information shall be provided by the contractor immediately as a n d w h e n required by Bureau and regular meetings shall be held with the Bureau.

9. Obligation of the Bureau, if any

9.1 Toll Charges and parking charges shall be paid as per actual on production of authenticated receipts. At any cost, the driver should not ask the Bureau officers /passengers to pay the Toll Charges/Parking Charges at any places.

10. Payment Terms:

- 10.1 The billing will be done on monthly basis; Bill should be neatly typed and submitted in duplicate, in connection with the service to this office in the 1st week of the following month. The payment of bills and other claims arising out of the contract will be made only through NEFT in the name of the Contractor/credited directly in Bank Account of the Contractor. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961 i.e., Tax will be deducted at source with chess/surcharge, at the prevailing rates, from the gross amount of each bill submitted.
- 10.2 The Bureau reserves the rights to retain and set off against any sum of amount which may be from time to time due to the Contractor under any claim until final settlement.
- 10.3 Payment will be made as per the quoted rate on number of days used per month and no revision will be allowed during the contract period despite hike in fuel price or any other development at any cost.
- 10.4 Payment calculation will be made based on the duty slip signed by the user which shall indicates the opening and closing meter reading from pick up and drop point.

11. Imposition of fines /penalty clause. (For deficiency in services)

11.1 If the Contractor fails to deliver or does not perform the Services within the time period specified in the Contract, for the reasons beyond his control, the Bureau shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, deduct from the Contract price, as liquidated damages, as under:-

SI. No.	Nature of Penalty	Penalty Amount(Rs.)
1	Not reporting at all for duty	
2	Older model (other than prescribed model)	5 times 2 Times of dail 30% reduction in quoted rate for each day of default.
3	Unclean or non-road worthiness of vehicle Deployed.	30% reduction in quoted rate for each day of default.
4	Misbehavior of driver / not followed instruction of BIS/driving under the influence of alcohol	50% reduction in quoted rate for each incident.
5	For late reporting per occasion.	20% reduction in quoted rate for each day of default
6	Any lapse noticed during operation of contract other than listed in clause of Penalties.	20% reduction in quoted rate per incident.
7	For not providing mobile phone to driver	10% reduction in quoted rate for each day of
8	Unauthorized claims	10% reduction in quoted rate for each day of

11.2 The decision of BIS, on all types of penalties, shall be final and binding on the firm. Once the penalty amount is reached equivalent to the amount of Performance Security, the Bureau may consider termination of the Contract.

12. Indemnity

- **11.1** The contractor shall indemnify and keep indemnified the Bureau against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labour laws as amended from time to time.
- **11.2** The contractor shall indemnify, protect and save the Bureau against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights etc. or such other statutory infringements.
- **13.** Termination / Suspension of Contract
- 13.1 The Bureau shall be at liberty at any time to suspend temporarily this Contract on change or compensation by reason thereof. giving 24 hours notice in writing the Contractor for breach of any of the terms and conditions of this Contract for insufficient service or misconduct of the Contractor as to which the decision of the Bureau shall be final and the Contractor shall not be entitled to any claim.
- 13.2 An event of default on the part of the Contractor, which results from the Contractor being unable to fulfill its Service obligations under the Contract, shall be deemed as a serious default, and is said to have occurred due to any of the following causes:
- (a) In the opinion of the Bureau, the Contractor has repudiated the Contract,
- (b) Without reasonable excuse has failed to commence supply of Services in accordance with this Contract, or failed to provide Services within the time stipulated for completion;
- (c)Despite previous warning from the Bureau, in writing, or otherwise persistently or flagrantly neglecting to comply with any of its obligations under the Contract;
- (d) Serious discrepancy in the quality of the services is noticed during the inspection.
- (e) If the Contractor is in breach of any law or statute governing the supply of Services;
- (f) The Contractor, in the judgment of the Bureau, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in carrying out the Services under the Contract.
- (g) The Contractor enters into voluntary or involuntary bankruptcy, or liquidation;
- (h) The Contractor becomes insolvent;
- (i) A receiver, administrator, trustee or liquidator is appointed over any substantial part of its assets;

(j) Any act is done or event occurs with respect to the Contractor or its assets, which, under any applicable law has substantially similar effect to any of the foregoing acts or events.

14. Termination by the Bureau

14.1 It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Contractor may suffer by reason of such termination, by giving the Contractor 30 days notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.

15. Contractor's right to terminate

- 15.1 If the Contractor decides to terminate the contract before the end of contract period, the Contractor has to give an advance intimation of at least 60 days.
- 15.2 If the Contractor terminates the agreement without prior notice of 60 days, then the entire Performance Security deposit will be forfeited.
- **16.** Force Majeure Clause:
- 16.1 If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Deputy Director General South of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Deputy Director General South, which shall be final, all unused, undamaged and accepted material, bought out components and stores in course of manufacture in the possession of the contractor at the time of such termination or such portion thereof as the Bureau may deem fit excepting such materials, bought out components and stores as the contractor may with the concurrence of the Bureau elect to retain.

17. Corrupt or Fraudulent Practices

- 17.1 The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such Contracts. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows:
- (a) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the hiring process or in contract execution; and
- (b) "fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a hiring process or a execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.
- 17.2 The Bureau shall reject a proposal for award, if it determines that the Bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the Contract in question; The Bureau shall deem a firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded a contract if it at anytime determines that the firm has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing, a contract.

18. Confidentiality

18.1 The contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while delivering services under this contract to any person, without the prior written consent of the Bureau.

19. Publicity

19.1 Any publicity by the contractor in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.

20. Disputes & Arbitration

- 20.1 The Bureau and the contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract.
- 20.2 If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to

the Arbitrator, appointed by the Deputy Director General South, Chennai. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.

21. Mode of serving Notice

- 21.1 Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).
- 21.2 All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau unless otherwise provided in the contract. In case, the notice is sent by registered post to the last known place or abode or business of the contractor, it shall be deemed to have been served on

the date when in the ordinary course of post these would have been served on or delivered to it.

22. Governing language

- 22.1 Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English only.
- **23.** Law
- 23.1 The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.

24. Legal Jurisdiction

- 24.1 No suit or other proceedings relating to performance or breach of contract shall be filed or taken by the contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Chennai only.
- **25.** Stamp Duty
- 25.1 The Contractor shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract

SCHEDULE -3

TECHNICAL BID DOCUMENT

Mandatory details to be provided with seal & signature else tender will be rejected summarily.

Sl. No.	Particulars	***
1	Name of the Bidder/Firm, Office Address, Telephone No., Fax No., Mobile No., E-mail	Copies should be enclosed
2	Should have minimum two years experience in transport business of providing car / vehicle to GOI, GOT, and their corporations ect.	Copy should be enclosed.
3	Registration Certificate (RTO/ Transport Authority)	Copy should be enclosed.
4	Service Tax Registration Certificate from concerned Authority.	Copies should be enclosed
5	Valid PAN Number.	Copies should be enclosed
6	DD for an amount of Rs. 20000.00 (Rupees Twenty Five Thousand only) in favour of "Bureau of Indian Standards" payable at Chennai or NEFT transaction details.	DD No Date: Bank:

	Note: Bidder may deposit the EMD amount through NEFT. The details of the same should be enclosed in this Technical Bid document.	UTR No:	
7	The Technical Bid document should be signed and concerned organization stamp seal should be affixed; else Bid Document will be rejected.	Signature and seal	
belie	is to certify that the above furnished facts are true f. Further, it is certified that, I/ We have read and ler Notice and Tender Document.		_
unco	We had read all the terms and condition of the to inditional acceptance of all terms & conditions of the to abide by these terms & conditions.	_	_
Date:			
Place		(Name and Signature of Bidder	

with stamp of the firm)

SCHEDULE -4

FINANCIAL BID DOCUMENT

Particulars	Rate for (4 hrs or 40 Kms)	Rate for (8 hrs or 80 Kms)	Rate for (12 hrs or 80 Kms)	Rate for additional Kms.	Rate for Additional Hours
Indica					
(or equivalent)					
SUV					
(Innova/Tavera or equivalent)					
Sedan (Hyundai Accent/Toyota Corolla or equivalent)					

Note: Financial Bid Document without firm's signature and seal will be rejected.

This is to certify that the above furnished rate is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Date:	
Place:	(Name and Signature of Bidder with stamp of the firm)

भारतीय मानक ब्यूरो दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय

निविदा सूचना : मासिक/दैनिक आधार पर वाहनों को भाड़े पर रखना

भारतीय मानक ब्यूरो पात्र बोली दाताओं को सीआईटी कैम्पस, चतुर्थ क्रॉस रोड, तारामणि में स्थित अपने कार्यालय, नियमित आधार पर चेन्नई 600 113 को काम पर रखने पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के तहत मुहरबंद बोलियां आमंत्रित करता है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं	वाहनों के प्रकार	अवश्यकताएँ
1	इंडिका (या इसके समकक्ष))	4 संख्या
2	एसयूवी	2 संख्या
	(हुंडई एक्सेंट/ टोयोटा कोरोला, या इसके समकक्ष	
3	सेडान	01 संख्या
	(हुंडई एक्सेंट/ टोयोटा कोरोला या इसके समकक्ष	

- 1. संविदा की वैध्यता : प्रारम्भिक रूप से, संविदा की अविध केवल एक वर्ष तक की है । फिर भी, यदि कार्य संतोषजनक होने पर उक्त शर्त व नियम और रेट के साथ पार्टी के परस्परिक सहमित पर और एक वर्ष के लिए अविध बढ़ा दी जाएगी ।
- 2. **निविदा दस्तावेज़ की उपलब्धता** : निविदा दस्तावेज़ निशुल्क है । शनिवार ,रविवार और छुट्टी को छोडकर कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निविदा दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं । और भा मा ब्यूरो की वेबसाइट <u>www.bis.org.in</u> से डाउनलोड भी कर सकते हैं ।

3. बयाना जमा : रू . 20000/- (रुपये बीस हजार मात्र)

4. बोली की वैध्यता : तकनीकी बोली के खुलने से 90 दिन तक

5. निविदा दस्तावेज़ का जारी होना : 12.10.2015
6. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 05.11.2015
7. निविदा खुलने की तिथि : 05.11.2015

ब्यूरो कोई कारण बताए बिना किसी भी बोली या सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

> (एन विट्टोबा) उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

निविदा दस्तावेज़ : संविदा की शर्तें

- 1. बोली को आमंत्रित करने हेतू सूचना :
- 1.1 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नियमित आधार पर किराये पर वाहनों के लिए योग्य बोली दाताओं से दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्त बोली) के तहत मुहर बंद बोली आमंत्रित करता है।
- 2. **निविदा दस्तावेज़ जारी करना** : हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और वेबसाइट www.bis.org.in से भी डाउन्लोड कर सकते हैं ।
- 2.1 यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज जारी होने के पश्चात निविदा दस्तावेज में कुछ परिवर्तन किया जाता है तो बोली जमा करने से पहले उक्त को शामिल करने के लिए संबधित बोलीदाता को श्द्ध पत्र/परिशिष्ट द्वारा सूचित किया जाएगा ।
- 2.2 बोली दस्तावेज़ में कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन की अनुमित नही है । यदि ऐसा पाया जाता है तो बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृति कर दिया जाएगा ।
- 2.3 बोलीदाताओं को बोली को तैयार व जमा करने से संबिन्धित सभी खर्चे स्वयं वहन करने होंगे । ब्यूरो लागत के लिए किसी भी मामले में जिम्मेदार नही होगा ।
- 3. बोली/संविदा की भाषा : यह सभी पत्राचार सहित केवल अँग्रेजी में ही होना चाहिए ।
- 4. बोली की वेध्यता : बोली ख्लने की तिथि से 90 दिन तक ।

5. बयाना राशि/निविदा की सुरक्षा :

- 5.1 निविदादाता को बयाना जमा के लिए रू 20000.00 (रू बीस हजार मात्र) के रूप में जमा करना होगा । और उक्त धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट या नेफ्ट के माध्यम से भुगतान करना होगा । (खाता का विवरण : भारतीय मानक ब्यूरो, खाता संख्या 3063667866, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अङ्यार शाखा, चेन्नई, आईएफ़एस कोड : CBIN0281293)
- 5.2 बिना बयाना राशि के निविदा का अस्वीकृति कर दिया जाएगा और उस निविदा के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।
- 5.3 तकनीकी बोली में नियम व शर्त में भिन्न होने पर बोलीदाता अपनी बोली को वापस नहीं ले सकता है । यदि ऐसा पाया जाता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी ।
- 5.4 सफल बोलीदाता को निष्पादन सुरक्षा हेत् एक लाख रुपये की धनराशि निर्धारित समय की अंदर भुगतान करना होगा और उनके जब्त बयाना राशि सिवाय करार (समझौता) दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करना होगा ।
- 5.5 सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 30 दिनों की अविध (जो भी हो) के अंदर ब्यूरो के लिए निष्पादन सुरक्षा की जरूरतें पूरा करने हेत् संविदा पर हस्ताक्षर होने के पश्चात असफल बोलीदाताओं के जमा राशि को वापस कर दिया जाएगा ।

6. बोलीदाता की पात्रता

- क) बड़े निजी क्षेत्र की कंपनियों, भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ बड़े कॉर्पोरेट को यात्री वाहन उपलब्ध कराने का अनुभव कम से कम दो वर्ष होनी चाहिए (पिछले प्रत्येक तीन साल के दौरान सरकारी विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / बड़े कॉर्पोरेट से प्राप्त दो आदेशों की प्रतियां संलग्न किया जाना चाहिए)
- ख) अपनी व्यवसाय की प्रकृति के रूप में यात्रा और परिवहन (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न) होनी चाहिए ।
- ग) सेवा कर पंजीकृत संख्या भी हो (प्रति संलग्न करें)
- घ) वैध्य पैन संख्या होना चाहिए (प्रति सलग्न करें)
- ड) रू 20000.00 की बयाना राशि का विवरण (डिमांड ड्राफ्ट/ नेफ्ट)

7. उद्धृत रेट की रीति

- क) कार्य करने की गुंजाइश और/ अन्य स्थितियों को ध्यान में रखकर बोली डाटा से उम्मीद की जाती है कि उद्धृत राशि तक ही रहें । बोलीदाता को समझ जाएगा कि बोली की सत्यता और प्रचुरता के रूप में और संलग्न अनुसूची में उद्धृत दरों और कीमतों की बोली लगाने से पहले खुद को संतुष्ट किया है ।
- ख) वितीय बोली सेवा कर, या किसी भी अन्य लागू करों के अनन्य होगी । हालांकि, चालान (इन्वाइस) ठेकेदार द्वारा लागू करों के साथ उठाया जाएगा।
- ग) ईमेल या फैक्स द्वारा भेजे गए बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
- घ) बोली में तकनीकी और वित्तीय बोली होंगी । तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के नाम से अलग-अलग लिफाफे में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली मुहरबंद अवश्य होना चाहिए और इन दोनों लिफाफे को किराए पर कार/गाड़ी का अनुबंध के नाम से एक अलग लिफाफे में होना चाहिए । यह तीसरा लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उननिदेशक (प्रशासन & वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, तारामणी, चेन्नई-600113 के नाम पर निर्धारित तिथि व समय तक वितरित करना है । निर्दिष्ट तिथि व समय के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- ङ) अधिसूचित तिथि व समय पर ही ब्यूरो द्वारा वित्तीय बोली को खोला जाएगा और बोलीदाता द्वारा उद्धृत रेट का वाचन किया जाएगा ।
- च) अनुसूची 6 के अनुसार, निर्दिष्ट स्थान पर किराए पर वाहनों के लिए वित्तीय बोली के लिफाफा में केवल मूल्य अनुसूची ही होगा ।
- छ) वित्तीय बोली केवल उन बोलीदाताओं के लिए होगा जो तकनीकी बोली में सफल होंगे ।
- ज) यदि किसी अवस्था में बोली को जमा करने के लिए निर्दिष्ट तिथि को छुट्टी घोषित कर दिया जाता है तो उसे अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय में प्राप्त किया जाएगा ।

झ) सीईओ/एमडी या कोई प्राधिकृत व्यक्ति ही एजेंसी/फ़र्म की ओर से निविदा दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर होंगे और इस संबंध में प्राधिकरण संलग्न किया जाएगा।

8. अनुबंध दस्तावेज़ का निष्पादन

- क) निष्पादन सुरक्षा के जमा करने के बाद सफल बोलीदाता उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न प्रपत्र में दो प्रतियों में एक समझौते पर अमल करने के लिए अपेक्षित है।
- ख) निष्पादन की तिथि पर जैसा लागू हो, करार के लिए स्टांप शुल्क, कानूनी और सांविधिक शुल्क का भ्गतान करने के लिए सफल बोली लगाने वाले पर निर्भर होगा ।

9. ब्यूरो के अधिकार

- क) ब्यूरो को उपयुक्त इस बोली के लिए काम का दायरा बढ़ाने / कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भारतीय मानक ब्यूरो के पास एक से अधिक एजेंसी को इस अनुबंध को ऑफर करने का अधिकार होगा।
- ख) निविदा दस्तावेज में खंड या अनुबंध की शर्तों में से किसी व्याख्या में कोई अस्पष्टता के मामले में ब्यूरो द्वारा खंड की व्याख्या अंतिम और सभी पार्टी पर बाध्यकारी होगा।

10. अनुबंध के हिस्से के रूप में करने के लिए नोटिस

क) निविदा सूचना और नियम और अनुबंध के शर्तें अनुबंध के हिस्से के रूप में होगा ।

अनुसूची - 2 संविदा की शर्तें

1. परिभाषाएँ

- क) ' अनुज्ञप्ति" पिछले मौखिक अनुमोदन के बाद की पुष्टि सहित लिखित में अनुमोदन से अभिप्राय है तथ 'अनुमोदन" से अभिप्राय है कि यथा उपरोक्त सहित लिखित में अनुमोदन हो ।
- ख) बोली से तात्पर्य है विहित स्थानों पर वाहनों की आपूर्ति हेतू ब्यूरो को प्रस्तावित संविदाकार ने मूल्य तथा संविदा, स्वीकार्यता पत्र द्वारा यथा स्वीकार्य संस्थापन एवं सेवाओं के प्रावधान सहित इसके अनुसार किसी प्रकार की कमियों के उपचार ।
- ग) ब्यूरो से तात्पर्य है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो है ।
- घ) आरंभ तिथि से तात्पर्य है विहित स्थानों पर सेवाएँ उपलब्ध कराने की शुरुवात संबंधी वह तिथि है, जिसका संविदाकार को सूचना प्राप्त हो ।
- ङ) सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है इस संविदा के तहत, ब्यूरो की ओर से कार्य करने हेतु ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ।
- च) संविदा से तात्पर्य है कि निविदा सूचना हित, बोलीदाताओं के लिए निर्देश, संविदा की शर्तों एवं निबंधन, स्वीकृति पत्र, प्रस्ताव, करार एवं ब्यूरो द्वारा बोलीदाता के साथ प्राधिकृत आपसी पत्राचार में स्वीकृति आपकी शर्तें तथा संविदा के साथ बनाए गए किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ ।
- छ) संविदा राशि तात्पर्य है संविदाकार द्वारा उसकी बोली में उद्धृत की गयी राशि एवं ब्यूरो द्वारा स्वीकार्य ।
- ज) संविदाकार से तात्पर्य है व्यक्ति या फर्म या कंपनी, चाहे निगमित हो या ना हो, संविदा उपक्रमित एवं ऐसे व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या ऐसी फ़र्म में शामिल व्यक्ति या अनिगमित कंपनी या ऐसी फ़र्म के उत्तराधिकारी या कंपनी, जो भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति या फ़र्म या कंपनी को सौंपी गयी अनुमति ।
- झ) उपमहानिदेशक, दक्षिण से तात्पर्य है कि ब्यूरो का उपमहानिदेशक, दक्षिण, उस कार्यालय का समय-समय पर पदधारक एवं उनका उत्तराधिकारी भी एवं उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी शामिल होंगे ।
- ञ) सरकार से अभिप्राय है केंद्रीय सरकार ।
- ट) स्वीकार्यता पत्र से अभिप्राय है ब्यूरो द्वारा आधिकारिक स्वीकृत ।
- ठ) सेवाओं से अभिप्राय है संविदा में यथा वर्णित संविदाकार द्वारा ब्यूरो को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ तथा निविदा दस्तावेज़ में विहित की गयी अन्य सेवाएँ शामिल होंगी ।
- ड) विशिष्ट से अभिप्राय है निविदा में संदर्भित विशिष्ट । जहां कोई विशेष विशिष्ट न दी गई हो तो ब्यूरो की संबद्ध विशिष्ट, जहां कोई हो तो लागू हो ।

- ढ) निविदा से तात्पर्य है संविदा आधार पर वाहनों की आपूर्ति हेतु तय मूल्य के लिए प्रस्ताव देने के लिए भावी बोलीदाताओं को ब्यूरो द्वारा औपचारिक आमंत्रण ।
- ण) पूर्णता समय से अभिप्राय है शुरुआती तिथि से संगणित संविदा में यथा वर्णित वर्णित सेवाएँ या उसके किसी भी भाग से उपलब्ध कराने हेतु विहित समय ।

2. संविदा हेत् पक्ष (पार्टी)

- 2.1 संविदा का पक्ष संविदाकार होगा जिसको ब्यूरो द्वारा स्वीकृत किया जाता है : एवं ब्यूरो ।
- 2.2 प्रस्ताव या फ़र्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से संविदा के भाग बनाते हुए अन्य किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति संविदा से संबद्ध सभी मामलों में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों या फ़र्मों को बाध्य करने के लिए सम्यक समझा जाएगा । यदि यह पाया गया कि संबंध व्यक्ति के पास ऐसा प्राधिकारी न हो तो ब्यूरो अन्य किसी सिविल/आपराधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को समाप्त कर सकता है तथा हस्ताक्षरी को बनाए रख सकता है तथा/ या फ़र्म ऐसे समापन हेतृ सभी लागत एवं नुक़सानों हेतृ देय होती है ।
- 3. निष्पादन प्रतिपूर्ति
- 3.1 संविदा के देय निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, ब्याज-मुक्त निष्पादन प्रतिभूति, अनुसूची-4 में यथा वर्णित राशि हेतु, संविदा दिये गए सफलतम बोलीदाता से प्राप्त की जाएगी । इसके पंजीकरण स्तर इत्यादि को ध्यान में रखे बगैर, निष्पादन प्रतिभूति अकाउंट पेयी डिमांड-ड्राफ्ट के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में नई दिल्ली में देय या अनुलग्नक-1 में यथा वर्णित फार्मेट के अनुसार बैंक गारंटी दी जाएगी ।

4. संविदा दस्तावेज़ (जिससे संविदा का भाग बनेंगे)

- 4.1 संविदा बनाने वाले विभिन्न संविदा दस्तावेज़ को एक-दूसरे पक्ष को यथा आपसी वर्णित लिया जाएगा, लेकिन इसी में संदेह या कमी के मामले में वर्णित किया जाएगा तथा ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुमेलित किया जाएगा । इस पर वह संविदाकार को आवश्यक निर्देश जारी करे तथा ऐसे मामलों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तो संविदा बनाने हेतु दस्तावेजों की प्राथमिकता निम्नानुसार रहेगी ।
 - क) करार
 - ख) संविदा की शर्तें
 - ग) निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज़
 - घ) स्वीकार्यता पत्र
 - ड) संविदा के संबंध में पक्षों के बीच दिये गए अन्य पत्राचार
 - च) संविदाकार का प्रस्ताव

- 5. संविदा की वेध्यता : इस संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिए संविदा होगी । तथापि, संविदा की अविध के दौरान संतुष्टिजनक निष्पादन एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमित के साथ नियम व शर्तों के साथ वार्षिक आधार पर इस बढ़ाया जाएगा ।
- 6. यदि आवश्यक हुई तो विकास के अनुसार संविदा में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा ।

7. विस्तृत कार्यक्षेत्र

जब भी ब्यूरो को आवश्यकता होगी तो संविदाकार को दैनिक आधार पर वाहन/कार के आवश्यक नंबर व मॉडल उपलब्ध कराएंगे और वाहन/कार की बूकिंग 24 घंटे में किसी भी समय और अपेक्षित समय पर उपलब्ध कराएंगे ।

क) उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के प्रकार :

- (i) संविदाकार के स्वामित्व वाले वाहनों की अनुलब्धता के मामले में, संविदाकार भारतीय मानक ब्यूरों की अपेक्षाओं के अनुरूप अन्यों द्वारा स्वामित्व वाले वहाँ उपलब्ध कराएंगे ।
- (ii) अपग्रेडिड मॉडल या ऊंची श्रेणी की कारें भारतीय मानक ब्यूरो की पूर्व अनुमति से शर्तों और निबंधनों पर इसी दरों पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- (iii) वाहन हेत् यातायात विभाग/प्राधिकारी से आवश्यक अन्ज्ञित्याँ हो ।
- (iv) प्रदूषण नियंत्रण, सेल टेक्स एवं अन्य अनुपलनों सिहत सभी वैधानिक देयताएँ संविदाकार द्वारा अनुपालित की जाएगी तथा भारतीय मानक ब्यूरो इस संबंध में दायी नहीं होगा ।
- (v) वाहन/कार 5 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और उपयोग के लिए ठीक घंग में और आरामदायक भी हों ।

ख) चालकों संबंधी अपेक्षाएँ :

- (i) चालक तमिलनाडू और पांडिचेरी के मार्गों की सही जानकारी हो और वैध्य चालक लाइसेन्स भी हो ।
- (ii) चालक को मोबाइल फोन रखना होगा , जिसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो कोई अलग से भ्गतान नहीं किया जाएगा ।
- (iii) चालक इ्यूटी पर वर्दी में आना चाहिए I
- (iv) चालक को सप्ताह में एक दिन का अनिवार्यतः आराम दिया जाएगा । आराम के दिनों में यदि भारतीय मानक ब्यूरो को जरूरत पड़ी तो विकल्पी चालक उपलब्ध कराया जाएगा ।
- (v) चालक भारतीय मानक ब्यूरो, प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा ।
- (vi) चालकों की उपलब्धता एवं नियुक्ति एवं उन्हें मजदूरी इत्यादि का भुगतान विभिन्न श्रमिक क़ानूनों एवं नियमों के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार दिये जाने के संविदाकार के प्रति पूर्णता : उत्तरदायित्व होगा ।

- (vii) संविदाकार पाने जोखिम पर चालकों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराएगा ।
- (viii) पुलिस प्राधिकरियों से सत्यापित पूर्ववृत की सेटिंग के बाद संविदाकार अपने सभी कार्मिकों को परिचय पत्र/पहचान पत्र जारी करेगा और उन्हे प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिये जाएंगे । ब्यूरो के पास संविदाकार द्वारा तैनात कार्मिकों के कार्य निष्पादन का निरीक्षण करने का अधिकार है तथा यदि कार्य निष्पादन संतुष्टिपरक न हुआ तो उन्हे बदलने का आदेश देने का अधिकार भी है ।
- (ix) यदि चालक का निष्पादन एवं व्यवहार असंतुष्टिपरक/आपत्तिजनक होता है, तो उसे बदलने का अधिकार ब्यूरो के पास है । संविदाकार को ऐसे अवसरों पर 24 घंटे के भीतर तुरंत उपयुक्त अवजी उपलब्ध कराना चाहिए ।

ग) अन्य अपेक्षाएँ

- (i) संविदाकार के पास न्यूनतम संभावित समय में अपनी कारों की मरम्मत कराने के लिए पर्याप्त संसाधन हो । जब अपेक्षित हो, वे बहुत कम नोटिस पर अतिरिक्त वाहनों के विकल्प/एवज या प्रबंध की स्थिति में हो । यदि वाहनें चालू हालत में नहीं पाया जाता है तो उसे तुरंत एवजी हेतु लौटा दिया जाएगा । यदि समय पर एवजी उपलब्ध नहीं कराया गाय तो भारतीय मानक ब्यूरों को मार्किट के वाहन को भाड़े पर लेने का अधिकार होगा और इस संबंध में खर्च की गयी अतिरिक्त राशि संविदाकार से ली जाएगी ।
- (ii) संविदाकार भाड़े पर लिए गए वाहनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशंसित इयूटी की परिचयाँ रखेगा । इयूटी परिचयाँ पर उपयोगकर्ता द्वारा हस्ताक्षर ली जाय यात्रा की शुरुआत/समाप्ति के बिन्दु पर समय एवं तिथि सिहत मीटर रीडिंग की शुरुआत एवं समाप्ति रीडिंग दर्शाई जाएगी तथा यात्रा का प्रयोजन भी दर्शाया जाएगा । यह भी स्निश्चित किया जाना चाहिए कि इयूटी पर्ची में ओवर राइटिंग न हो ।

8. संविदाकार की देयताएँ -

- 8.1 दैनिक/आकस्मिक अनुबंध के आधार पर, छुट्टियों पर ध्यान दिये बगैर दैनिक/आकस्मिक आधार पर कार / वाहन प्रदान करेगा ।
- 8.2 भारतीय मानक ब्यूरो किसी भी चालान, हानि, नुकसान एवं मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।
- 8.3 संविदाकार संविदा पर वाहन चलाने के लिए सभी वैधानिक अपेक्षाओं का पालन करेंगे तथा भारतीय मानक ब्यूरो, शुल्क, जुर्माने एवं चालकों के वेतन, रखरखाव का किसी भी प्रकार का भुगतान योग्य खर्चों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा ।
- 8.4 किसी भी प्रकार के कारण को मामले में, वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध नही कराया जाता है ।

- 8.5 जब भी अपेक्षित होगा संविदा को संविदाकार सीधे अपने टेलीफ़ोन एवं मोबाइल फोन (कार्यालय साथ ही निवास) उपलब्ध रहेगा ताकि आपात स्थिति में टैक्सियों को जवाब दे सके ।
- 8.6 भारतीय मानक ब्यूरो की ड्यूटी पर वाले दो स्टिकर प्रत्येक वाहन पर (कार के अगले एवं पिछले वाले शीशे पर लगे हों)।
- 8.7 ब्यूरो किसी भी तरह से सभी संवैधानिक दायित्यों (जैसे आईएसआई एवं आईपीएफ़ इत्यादि) की देयता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । चूंकि इनका संविदाकार द्वारा भुगतान किए जाएंगे । संविदाकार समय-समय पर संबंध प्राधिकारियों को तैनात कार्मिकों के संबंध में जमा राशि के विवरण ब्यूरो के समक्ष प्रस्त्त करेगा । संविदाकार ब्यूरो को इनके प्रमाण प्रस्त्त करेगा ।
- 8.8 संविदाकार इयूटी पर रहने वाले अपने कार्मिकों को व्यक्तिगत दुर्घटना एवं मृत्यु संबंधी बीमा कराएगा तथा इस संबंध में ब्यूरो की अपनी कोई देयता एवं ज़िम्मेदारी नहीं होगी ।
- 8.9 संविदाकार भारतीय मानक ब्यूरो में सेवाओं के कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण करेगा ।
- 8.10 संविदाकार के कार्मिक ब्यूरो के कार्मिक नहीं होंगे तथा वे इस संविदा के तहत अपने कार्मिकों के वेतन या भते, प्रतिपूर्ति, नुकसान या कुछ अन्य उत्पन्न स्थितियों के दावे नहीं करेंगे । संविदाकार इस करार के तहत तैनात किये जाने से पूर्व अपने कार्मिकों को इस बारे में अवगत कराएंगे । 8.11 संविदाकार अपने कार्मिकों को सभी संवैधानिक लाभ या अन्य लाभ भी उपलब्ध कराएगा तथा इस संबंध में जो भी हो, ब्यूरो किसी भी प्रकार के देयता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा । संविदाकार श्रमिक कानूनों, श्रमिक प्रतिपूर्ति अधिनियम ईपीएफ कानून, ईएसआईसी कानून, आकार एवं न्यूनतम मजदूरी कानून, संविदाकार श्रम (विनियम, उन्मूलन अधिनियम) या लागू अन्य कानून का भी पालन करेगा ।
- 8.12 सभी आवश्यक रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी यथा अपेक्षित तुरंत दी जाएगी तथा ब्यूरो के साथ नियमित बैठकें की जाएंगी।
 - 9. ब्यूरो के दायित्व यदि कोई है तो
 - 9.1 प्रामाणिक रसीदों के प्रस्तुत करने पर चुंगी प्रभार एवं पार्किंग प्रभारों का भुगतान किया जाएगा । चालक किसी भी कीमत पर ब्यूरो के अधिकारियों/यात्रियों से किसी भी स्थान पर चुंगी प्रभार/पार्किंग प्रभार भुगतान करने के लिए नहीं पुछेगा ।

10. भुगतान शर्ते

10.1 बिलिंग मासिक आधार पर किया जाएगा, निम्निलिखित माह के पहले सप्ताह में इस कार्यालय के लिए सेवा से जुड़े बिल सफाई से टाइप किया जाना चाहिए तथा डुप्लीकेट में प्रस्तुत किया जाएगा । बिलों तथा संविदा से उत्पन्न अन्य दावों के भुगतान संविदाकार के नाम पर आहरित अकाउंट पेयी चेक/संविदाकार के बैंक अकाउंट में सीधे जमा करके किया जाएगा । आकार अधिनियम 1961 के

उपबंधों के शर्ताधीन भुगतान होंगे अर्थात प्रस्तुत प्रत्येक बिल में कुल राशि से लागू दरों पर सेस/प्रभार सहित कर काटा जाएगा ।

- 10.2 किसी भी राशि को रखने या छोड़ने का अधिकार ब्यूरो के पास सुरिक्शित है, जो किसी दावे के तहत संविदाकार के कारण समय-समय पर हो सकता है, जो ब्यूरो के पास इसके तहत या अन्य किसी संविदा/करार के तहत हो सकता है।
- 10.3 भुगतान महीने में उपयोग होने वाले दिनों की संख्या पर उद्धृत रेट के आधार पर किया जाएगा ।
- 10.4 उपयोगकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित इ्यूटी स्लिप के आधार पर ही भुगतान की गणना की जाएगी। जिसमें मीटर में संकेत भी दर्शाया गया हो जो पिक-अप और छोड़ने का समय भी शामिल हो। 11. जुर्माना (सेवाओं में कमी हेतू) लगाना।
- 11.1 संविदा में विहित समायाविधि के भीतर संविदाकार डिलीवरी देने से चुकता है या सेवाएँ पूर्ण नहीं करता है, उसके नियंत्रण से परे कारणों हेत् ब्यूरो संविदा के तहत इसके अन्य उपचार पर ध्यान दिये बिना निम्नानुसार, पार्टनिधीरित नुकसान को संविदा के मूल्य से काटेगा :

क्रमांक	जुर्माने की प्रकृति	जुर्माने की राशि (रुपये)
1	इयूटी पर बिल्कुल भी रिपोर्ट न करना	प्रतिदिन की दर का दो गुना
2	पुराने मॉडल (निर्धारित मॉडल के अलावा)	चूक के प्रतिदिन हेत् उद्धृत दर में 30%
		कमी
3	भेजे गए गंदे या सड़क पर आने के लिए	चूक के प्रतिदिन हेत् उद्धृत दर में 30%
	अयोग्य वाहन	कमी
4	ड्राईवर द्वारा दुर्व्यहार/भा मा ब्यूरो के निर्देशों	प्रत्येक घटना हेत् उद्धृत दर के 50%
	का अनुपालन न करना	की कमी
5	प्रत्येक अवसर पर देरी से रिपोर्टिंग पर	चूक के प्रतिदिन हेत् उद्धृत दर में 20%
		कमी
6	अर्थदंड के खंड के अलावा संविदा के प्रचालन	प्रति घटना पर उद्धृत दर में 20% की
	के दौरान पायी गयी किसी प्रकार की कमी	कमी
7	ड्राईवर को मोबाइल फोन उपलब्ध न कराये	चूक के प्रतिदिन हेत् उद्धृत दर में 10%
	जाने पर	कमी

11.2 भा मा ब्यूरो के निर्णय, जुर्माने के सभी प्रकारों पर, फर्म के लिए अनंतरिम एवं बाध्य होंगे । निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि के समकक्ष जुर्माना राशि के पहुँचने पर, ब्यूरो संविदा को समाप्त करने पर विचार कर सकता है ।

12 क्षतिपूर्ति

12.1 संविदाकार किसी व्यक्ति या किसी प्रॉपर्टी, जो भी हो के चोटिल होने या नुकसान होने पर ब्यूरो के सभी नुकसानों व दावों, जो संविदा से उपजे या परिणामस्वरूप हो तथा सभी दावों, मार्गों,

प्रक्रियागत, नुकसान, लागत, प्रभार एवं खर्च, इस संबंध में जो भी हो या समय-समय पर यथा संशोधित विभिन्न श्रमिक क़ान्नों के उपबंधों के तहत इससे संबद्ध की क्षतिपूर्ति करेगा तथा क्षतिपूर्ति कराएगा ।

12.2 संविदाकार ब्यूरो के विरुद्ध सभी दावों, नुक़सानों, खर्चों, वाद कार्यवाई एवं अन्य प्रक्रिया, किसी पेटेंट के उल्लंघन के परिणामत : ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इत्यादि ऐसे ही अन्य वैधानिक उल्लंघन के क्षितिपूर्ति, सुरक्षा एवं बचाव करेगा ।

13 संविदा का समापन/आस्थगन

- 13.1 ब्यूरो को बदलाव पर या इसके कारण प्रतिपूर्ति पर इस संविदा को अस्थाई तौर पर किसी भी समय आस्थिगित करने की स्वतन्त्रता होगी । संविदाकार की अपर्याप्त सेवा या दुर्व्यवहार हेतू इस संविदा की किन्ही शर्तों एवं निबंधनों को भंग करने के लिए संविदाकार को लिखित में 24 घंटे का नोटिस देते हुए जो भी ब्यूरो का निर्णय हो, संविदाकर के लिए अनंतिरम होगा तथा संविदाकार का कोई भी हकदार नहीं होगा ।
- 13.2 संविदाकार की ओर से चूक होने की स्थिति में, जिसे परिणामत : संविदा के तहत वह अपनी सेवाओं देयताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो तो इस एवं गंभीर चूक माना जाएगा तथा यह निम्नलिखित कारणों में से किसी के होने पर माना जाएगा ।
- क) ब्यूरो की राय में संविदाकार संविदा के विरुद्ध हो गया हो,
- ख) इस संविदा के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति शुरू करने में बिना किसी समुचित कारण के चुकने पर या पूर्णता : हेतू तथा समय के भीतर सेवाएँ उपलब्ध कराने में असफल रहने पर ।
- ग) लिखित में ब्यूरो की ओर से पिछली चेतावनियों के बावजूद, संविदा के तहत इसकी जिम्मेवारियों के अनुपालन में अन्यथा घोर लापरवाही रहने पर ।
- घ) निरीक्षण के दौरान सेवाओं की गुणता में गंभीर कमियाँ ध्यान में आई हों ।
- इ) यदि संविदाकर सेवाओं की आपूर्ति के लिए बनाए गए किसी कानून को भंग करता हो'।
- च) ब्यूरो के न्याय में संविदाकार संविदा के तहत सेवाओं को पूर्ण करने या निपटाने में भ्रष्ट या गलत रीतियों में लिप्त हो ।
- छ) संविदाकार स्वैछिकता या अस्वैछिकता से दिवालिया या परिसमापित हो जाता है।
- ज) संविदाकार दिवालिया हो जाता है।
- झ) इसकी परिसंपत्तियों के किसी बड़े भूभाग पर कोई रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी या परिसमापक नियुक्त कर दिया जाता है।
- -) संविदाकार या इसकी सम्पत्तियों के संबंध में कोई कार्यवाई या घटना होती है, जिससे किसी लगाम कानून के तहत/ चालू क्रिया या घटनाओं पर किसी प्रकार का बड़ा प्रभाव पड़ता है ।

14 ब्यूरो द्वारा समापन

14.1 बिना किसी कारण बताए तथा हानि या नुकसान की देयता के बिना किसी भी समय करार को समाप्त करना ब्यूरो के लिए संवैधानिक होगा जिससे संविदाकार को ऐसे समापन के कारण परेशानी हो सकती है। ऐसे समापन के लिए ब्यूरो द्वारा लिखित में संविदाकार को 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। संविदा के तहत ऐसे किसी भी प्रकार का समापन ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर होगा।

15 समापन हेत् संविदा का अधिकार

- 15.1 यदि संविदाकार संविदा अविध की समाप्ति से पूर्व संविदा समाप्त करने का निर्णय लेता है तो सिनवडकर को न्यूनतम 60 दिनों की अग्रिम रूप में सूचना देनी पड़ेगी ।
- 15.2 यदि संविदाकर 60 दिनों की पूर्व सूचना के बिना करार समाप्त करता है तो सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी ।

16 मुख्य खंड लागू करना :

16.1 इस संविदा की बारंबारता के दौरान किसी भी समय पर यदि इस संविदा के तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण रुपेण या अंशत निष्पादन को किसी लड़ाई, युद्धस्थिति, सार्वजनिक शत्रुता संबंधी कार्यों, महामारियों, सार्वजनिकहुल्लइ, तोइ-फोइ, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, संगरोधन प्रतिबंधन, हइताल, तालाबंदी या प्राकृतिक आपदा (इसमें आगे ऐसे कार्य कहा गया है) के कारणों से रोका जाएगा या देरी की जाएगी बशर्तें ऐसी घटनाओं के नोटिस घटित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देता है। कोई भी पक्ष ऐसी स्थिति में न तो संविदा को समाप्त करेगा और न ही गैर-निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य नुक़सानों की भरपाई का दावा करेगा और जब तक ऐसी घटनाएँ समाप्त न हो जाये या बंद न होये इसके बाद व्यावहारिक रूप से संविदा शुरू नही की जाएगी तथा जब ब्यूरो के उपमहानिदेशक (दक्षिण) पुन: संविदा को शुरू करने या न करने का निर्णय नहीं करते, इस मामले में उपमहानिदेशक (दिक्षण) का निर्णय अनंतिम एवं निर्णायक होगा।

17 भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियाँ

- 17.1 ब्यूरो को अपेक्षा है कि इस बोली के तहत बोलीदाता ऐसे संविदाओं की प्राप्ति एवं निष्पादन के दौरान नैतिक मूल्यों के उच्चतम मानक प्राप्त करेगा तदुपरान्त, ब्यूरो निम्नानुसार शर्तें सेट करना पारिभाषिक करता है:
- क) भ्रष्ट रीति से अभिप्राय है भाड़े की प्रकिरया में या संविदा निष्पादन में सार्वजनिक कर्मचारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्त् का देना, प्राप्त या प्रलोभन देना, एवं
- ख) कपटपूर्ण रीतियों से अभिप्राय है कि ब्यूरो को हानि पहुचाने के लिए भाई की प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का मिथ्या निरूपण, तथा कृत्रिम तौर पर अप्रतिस्पधार्त्मक स्तर पर संविदा मूल्य बाधित करने के लिए बोलीदाताओं (बोली प्रस्तुतीकरण से पूर्ण

या बाद में) के बीच कपटपूर्ण रीतियाँ शामिल है तथा ब्यूरो को मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करना शामिल है ।

17.2 यदि ब्यूरो को यह जात होता है कि संविदा हेत् जिस बोलीदाता के नाम की सिफ़ारिश की गयी वह संविदा हेत् प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या कपटपूर्णरीतियों में लिप्त है तो ऐसे संविदा के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा । यदि ब्यूरो को यह जात होता कि फ़र्म संविदा की प्रतिस्पर्धा के भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो उसे फ़र्म को अनिश्चितकाल या एक तय समय सीमा हेतु अयोग्य समझा जाएगा ।

18 गोपनीयता

18.1 संविदाकार इस संविदा के तहत सेवाएँ देते समय किसी भी व्यक्ति को प्राप्त मालिकाना जानकारी प्रकट नहीं करेगा जब तक कि ब्यूरों से लिखित में सहमति न ली जाएगी।

19 प्रचार-प्रसार

19.1 जिस किसी भी प्रचार सामाग्री में ब्यूरो का नाम प्रयुक्त किया जाता है तो संविदाकार को ऐसा केवल ब्यूरो से लिखित अन्मति लेने पर ही करना चाहिए ।

20 विवाद एवं विवाचक

- 20.1 ब्यूरो और संविदाकार संविदा से जुड़े किसी असहमति या उपजे विवाद को दोनों पक्ष सीधे अनौपचारिक बातचीत से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे ।
- 20.2 यदि किसी भी प्रकार विवाद हल न किया जा सके तो उस मामले को उपमहानिदेशक (दक्षिण), चेन्नई, भा मा ब्यूरो द्वारा नियुक्त विचाचक के पास भेजा जाएगा । भारतीय विवाचक एवं समझौता अधिनियम 1996 के उपबंध लागू होंगे ।

21 नोटिस भेजने का तरीका

- 21.1 संविदा में उल्लिखित दोनों पक्षों के बीच पत्राचार लिखित में होने पर ही प्रभावी होगा । नोटिस (भारतीय संविदा अधिनियम के तहत) के केवल डिलिवरी होने पर ही प्रभावी होगी ।
- 21.2 संविदा में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तो ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी नोटिस जारी किए जाएंगे । यदि संविदाकार के अंतिम ज्ञात स्थान या निवास या व्यवसाय वाले पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाता है, तो यह समझा जाएगा कि नोटिस सामान्य डाक से भेजा जाने पर इसे समय पर या डिलीवर हुए के समान माना जाएगा ।

22 शासन की भाषा

22.1 सम्पूर्ण संविदा एवं इसके पत्राचार हेतू शासित भाषा केवल अँग्रेजी होगी ।

23 कानून

23.1 संविदा भारतीय कानून के तहत, शासित एवं परिभाषित होगी।

24 कानूनी क्षेत्र

24.1 संविदाकार द्वारा केवल चेन्नई की स्थानीय सीमा के भीतर पड़ने वाले सक्षम न्यायालय को छोडकर, किसी भी न्यायालय में संविदा निष्पादन या भंग से संबद्ध मुकदम या अन्य कार्यवाही की जाएगी।

25 स्टांप इ्यूटी

25.1 संविदा से संबद्ध किसी भी प्रकार की स्टम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभारों का भुगतान संविदाकार वहन करेगा ।

अनुसूची - 3 तकनीकी बोली के दस्तावेज़

मुहरबंद एवं हस्ताक्षर के साथ आवश्यक विवरण उपलब्ध करायेंगे अन्यथा सरसरी तौर पर अस्वीकृति कर दिया जाएगा ।

क्रमांक	विवरण	***	पृष्ठ संख्या
1	बोलीदाता/फ़र्म का नाम, कार्यालय का पता,	प्रति संलग्न करें	
	टेलीफ़ोन नंबर, फैक्स संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल		
2	जीओआई, जीओटी और कार्पोरेशन आदि में वाहन	प्रति संलग्न करें	
	सेवाओं के लिए न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो		
3	पंजीकरण संख्या (आरटीओ/ यातायात से संबन्धित	प्रति संलग्न करें	
	प्राधिकारी)		
4	संबन्धित प्राधिकारी से सेवा कर पंजीकरण का	प्रति संलग्न करें	
	प्रमाणपत्र)		
5	वैध्य पेन संख्या	प्रति संलग्न करें	
6	डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु 20000.00 की धनराशि	डीडी संख्या	
	भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में देय हो, जिसका	दिनांक :बैंक :	
	नेफ्ट विवरण है		
	नोट : बोलीदाता को नेफ्ट के माध्यम से ईएमडी	यूटीआर संख्या :	
	का भुगतान करना है और इसका विवरण भी		
	तकनीकी बोली के साथ संलग्न करें ।		
7	तकनीकी बोली दस्तावेज़ में हस्ताक्षर के साथ-साथ	हस्ताक्षर एवं मुहर	
	संगठन स्टांप की मुहर भी लगी हो अन्यथा बोली		
	दस्तावेज़ अस्वीकृति कर दी जाएगी ।		

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त में दिये सूचना मेरे ज्ञान एवं विश्वास के साथ सही सूचना दी गयी है और आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है की में/हम निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज़ में नियम व शर्त को भलीभांति पढ़ व समझ लिया है।

हम सभी नियमों और निविदा दस्तावेज की हालत और पढ़ने के लिए निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज के सभी नियम एवं शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति के लिए एक उपक्रम देने के लिए और इन नियम व शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

दिनांक :

स्थान :

(बोलीदाता का नाम व फ़र्म के स्टांप के साथ हस्ताक्षर)

अनुसूची -6 वितीय बोली के दस्तावेज

विवरण	_	-	(12 घंटे या		अतिरिक्त घंटे
	ाकलामाटर) क	किलोमीटर) के	80ाकलामाटर)	किलोमीटर के	कालए स्ट
	लिए रेट	लिए रेट	के लिए रेट	लिए रेट	
इंडिका (या					
समकक्ष)					
एसयूवी					
(इनोवा/तवेरा					
या समकक्ष)					
सेडान (हुंडई					
असेंट/टोयोटा					
कोरोला या					
समकक्ष)					

नोट : वित्तीय बोली दस्तावेज़ हस्ताक्षर व मुहर बिना अस्वीकार कर दिये जाएगे । यह प्रामाणिक किया जाता है कि अपने विश्वास और ज्ञान के साथ सभी सूचनाएँ सही और सत्य हैं । दिनांक :

स्थान :

(बोलीदाता का नाम व फ़र्म के स्टांप के साथ हस्ताक्षर)